भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3015

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

वाहनों में बाल सुरक्षा पर सर्वेक्षण

†3015. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पाँच वर्षों में वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में, राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार विशेषकर बापतला लोक सभा क्षेत्र और प्रकाशम जिले में, कुल कितने बच्चों की मौत हुई है;

(ग) क्या सरकार के पास वाहनों में बच्चों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करने वाले कोई कानून/दिशानिर्देश हैं;

(घ) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों के दौरान राज्यवार और आंध्र प्रदेश में, जिलावार और बापतला लोक सभा क्षेत्र और प्रकाशम जिले में उपरोक्त कानूनों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों/व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के आधुनिक मानकों के अनुरूप मौजूदा कानूनों को आशोधित/संशोधित करने की सरकार की कोई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कैलेंडर वर्ष के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एकत्र करती है और उन्हें वार्षिक प्रकाशन 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' में प्रकाशित करती है। 2018 से 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 18 वर्ष से कम आयु के मारे गए व्यक्तियों की आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है जो किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है, जिसने आयु चौदह वर्ष प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या बाल-

अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा बेल्ट और बाल- अवरोध प्रणाली, दोनों ही यात्री के चालन को नियंत्रित करने के लिए हैं।

केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 125 (8) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 को और उसके बाद निर्मित परिवहन वाहनों और विशेष प्रयोजन वाहनों को छोड़कर श्रेणी एम1 के मोटर वाहनों में, एआईएस: 072-2009 में निर्दिष्टानुसार, कम से कम एक सीटिंग पोजीशन पर सभी भार समूहों के लिए कम से कम एक बाल अवरोध प्रणाली लगाने का प्रावधान होगा।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 (6) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2016 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के मोटर वाहन, परिवहन वाहनों और विशेष प्रयोजन वाहनों को छोड़कर, के चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन में ले जाए जा रहे बारह वर्ष तक की आयु के बच्चे को एआईएस: 072-2009 के अनुरूप उपयुक्त बाल अवरोध प्रणाली में बैठाया गया है।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साकानि 126 (अ), 15 फरवरी, 2022 के तहत चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा हार्नेस और उनके सिर पर फिट होने वाले क्रैश हेलमेट या [एएसटीएम 1447]/ [यूरोपीय (सीईएन) बीएस एन 1080/बीएस एन 1078] का अनुपालन करने वाले साइकिल हेलमेट का उपयोग तब तक अनिवार्य कर दिया है जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत नौ माह से चार साल की उम्र के बच्चे के लिए पीछे बैठने वाले यात्री हेतु विनिर्देश निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन/प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अनुलग्नक-I

'वाहनों में बाल सुरक्षा पर सर्वेक्षण' के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3015 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2018 से 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या						
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	330	414	412	381	474
2	अरुणाचल प्रदेश	16	0	5	9	12
3	असम	138	195	239	282	173
4	बिहार	385	682	641	649	1011
5	छत्तीसगढ	284	342	236	346	357
6	गोवा	11	8	8	0	2
7	गुजरात	408	362	288	413	444
8	हरियाणा	353	216	245	189	424
9	हिमाचल प्रदेश	96	90	54	54	73
10	झारखंड	246	473	193	197	278
11	कर्नाटक	412	460	309	376	433
12	केरल	192	171	87	70	143
13	मध्य प्रदेश	911	867	717	839	881
14	महाराष्ट्र	465	379	268	373	454
15	मणिपुर	15	11	9	5	8
16	मेघालय	0	25	12	24	8
17	मिजोरम	4	9	9	5	16
18	नागालैंड	2	0	4	2	4
19	ओडिशा	336	275	219	203	226
20	पंजाब	203	979	189	166	157
21	राजस्थान	613	501	396	382	485
22	सिक्किम	6	2	3	0	4
23	तमिलनाडु	684	926	499	460	579
24	तेलंगाना	340	285	399	293	306
25	त्रिपुरा	11	12	11	6	10
26	उत्तराखंड	76	54	28	37	66

27	उत्तर प्रदेश	2764	2688	1262	1447	1909
28	पश्चिम बंगाल	376	345	284	326	347
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	0	0
30	चंडीगढ़	11	9	6	5	3
31	दादरा और नगर हवेली	3	4	3	5	7
32	दमन और दीव	3	3	0	0	0
33	दिल्ली	84	63	35	22	41
34	जम्मू और कश्मीर	61	92	41	193	184
35	लद्दाख				0	0
36	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0
37	पुद्दुचेरी	17	8	4	4	9
	कुल	**9857**	**10950**	**7117**	**7764**	**9528**

टिप्पण : 1. वर्ष 2020 से दमन और दीव के डेटा को दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है।

2. कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और कैलेंडर वर्ष 2018 से 2020 के लिए तमिलनाडु के डेटा का मिलान किया गया है।

*****